


HN



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग
मध्य प्रदेश शासन
M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION
Government of Madhya Pradesh

१३०६

कंमांक...../म.प्र.न.वि.वि.आयोग/स्थापना/भोपाल.

// आदेश //

दिनांक 16/12/22

मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 179 वीं सभा की बैठक दिनांक 17/11/2022 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में पीपूल्स विश्वविद्यालय, भोपाल के मुख्य परिसर में स्थित शैक्षणिक विभागों के अंतर्गत पूर्व से संचालित निम्नलिखित तालिका में दर्शित पाठ्यक्रमों को उनके नाम के सम्मुख सीट संख्या के अनुसार संचालन करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

S.No	Name of course	Intake	Ordi. No.
1	MBBS	200	7
2	BDS(PCDS&RC)	100	8
3	BDS(PDA)	100	8
4	B.Pharm	60	9
5	B.Sc. (Nursing)	100	10
6	BPT	50	11
7	Bachelor of Science in Human Nutrition (Clinical Dietician)	50	12
8	BMLT	50	13
9	B.E	375	14
10	BHMCT	60	15
11	Bachelor of Science-B.Sc. (Electronic Media)	30	16
12	Bachelor of Journalism (B)	30	17
13	DMLT	25	18
14	DDT	25	19
15	M.Sc. (Nursing)- Medical Surgical, Psychiatric, Paediatric, OBG, Community Health	25	20
16	M.Sc. Medical Biochemistry	20	21
17	M.Sc. Medical Microbiology		22
18	MBA	120	23
20	Master of Journalism (MJ)	15	24
21	Master of Arts (Broadcast Journalism)	15	25
22	Master of Arts in Advertising & Public Relations	15	26
23	Master of Arts in Mass Communication	15	27
24	MDS(PCDS&RC)-Oral Pathology & Microbiology, Oral & Maxillofacial Surgery, Paedodontics & Preventive Dentistry, Orthodontics & Dentofacial Orthopaedics, Conservative Dentistry & Endodontics, Public Health Dentistry, Oral Medicine & Radiology, Prosthodontics and Crown & Bridge, Periodontology.	26	28
25	MDS(PDA)-Oral Pathology & Microbiology, Oral & Maxillofacial Surgery, Paedodontics & Preventive Dentistry, Orthodontics & Dentofacial Orthopaedics, Conservative Dentistry & Endodontics, Public Health Dentistry, Oral Medicine & Radiology, Prosthodontics and Crown & Bridge, Periodontology.	23	28

निरंतर...2

(Signature)

*DM, DPharm, BAT
 LLN (2011)*

158

26 ✓	MD-Paediatrics, Psychiatry, General Medicine, Respiratory Medicine, Forensic Medicine, Anaesthesiology, DVL, Radio-Diagnosis, Biochemistry, Microbiology, Pathology, Pharmacology, Physiology, Community Medicine, Anatomy, MS-Orthopaedics, Otorhinolaryngology, Ophthalmology, General Surgery, Orthopaedics, OBG.	85	29
27 ✓	M.Pharm (Pharmaceutics)	15	30
28 ✓	M.Tech.-Computer Science & Engg., Cyber Security, Power System, Digital Communication, Construction Technology Management, Structural Engineering, Thermal Engineering, Production Engineering, Urban Planning, Transportation Engineering	108	31
29 ✓	Post Basic Diploma in Orthopedic & Rehabilitation Nursing	30	32
30 ✓	Post Basic Diploma in Neonatal Nursing	30	33
31 ✓	Post Basic Diploma in Operation Room Nursing	30	34
32 ✓	Post Basic B.Sc. (Nursing)	30	35
33 ✓	Diploma in Engg.- Civil Engineering, Computer Science & Engg., Electrical & Electronics, Electrical Engg., Mechanical Engg.	300	36
34 ✓	BBA	60	38
35 ✓	Integrated MBA	30	39
36 ✓	MBA(HA)	30	40
37 ✓	Ph.D	As per availability UGC Norms	41
38 ✓	Bachelor of Science- Biotechnology, Computer Science, Maths, Physics	30	42
39 ✓	Bachelor of Commerce/Bachelor of Commerce (Hons)	30	43
40 ✓	Bachelor of Arts/ Bachelor of Arts (Hons.)	30	44
41 ✓	Bachelor of Science (Trauma Care Management)	30	45
42 ✓	Bachelor of Hotel Management	30	46
43 ✓	B.Tech.- Civil Engg., Mechanical Engg., Electrical Engg., Mechanical Engg., Electronics & Communication, Computer Science & Engg.	420	47
44 ✓	MHM	15	48
45 ✓	Master of Statistics	15	49
46 ✓	MPT- Orthopaedic, Sports, Cardiothorasic, Neurology	20	50
47 ✓	BBA(HHA)	60	51
48 ✓	M.Sc.-Microbiology, Biotechnology	10	52
48 ✓	Master of Science (M.Sc.) in Medical Anatomy, Medical Physiology, Medical Pharmacology	20	53
50 ✓	Post Graduate Diploma in Computer Application	30	54
51 ✓	Diploma in Computer Application	30	55
52 ✓	PG Diploma in Hotel Management & CT	30	56
53 ✓	UG Diploma in Hotel Management & CT	30	57
54 ✓	Dental Mechanic	15	58
55 ✓	Dental Hygenist	15	59
56 ✓	LLM (One Year)	40	60
57 ✓	M.Com	18	61
58 ✓	MA-English, Psychology, Political Science, History	18	62

निरंतर...3

15/12

159

59 /	MSW	18	63
60 /	L.L.B (Three Year Course)	60	64
61	B.A L.L.B (Five Year Course)	60	65
62 /	B.Com. L.L.B (Five Year Course)	60	66
63	B.B.A L.L.B (Five Year Course)	60	67

शर्त :-

1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं संबंधित परिषदों के मापदण्डों के अनुसार अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं संबंधित परिषदों के मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
3. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित विनियामक परिषदों की गाईडलाईन के अनुसार दिये जायेंगे।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाईन/मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
5. विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
7. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक एजेंसियों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा तथा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रैंकिंग संस्था/एजेंसियों के मापदण्डों की पूर्ति करना होगा।
8. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।
9. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीर न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

(मा. अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. के.पी. साहू)
सचिव

म0प्र0नि0वि0वि0वि0आयोग, भोपाल
दिनांक /12/2022

पृष्ठांकन...../ म0प्र0नि0वि0वि0आयोग/स्थापना/ भोपाल
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक के माध्यम से मा. अध्यक्ष महो, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल।
2. कुलसचिव, पीपूल्स विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
6. मूलनस्ती।

सचिव

म0प्र0नि0वि0वि0वि0आयोग, भोपाल



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

15/8

क्र. क/काक...../म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/अका-1/2023-24

// संशोधित आदेश //

दिनांक 28/6/23

मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 179 वीं सभा की बैठक दिनांक 17/11/2022 में सिद्ध मधे निर्णय के अनुक्रम में पीपल्स विश्वविद्यालय, भोपाल के मुख्य परिसर में स्थित शैक्षणिक विभागों के अंतर्गत पूर्व से संचालित विनियमित तालिका में दर्शित पाठ्यक्रमों को उनके नाम के सम्मुख सीट संख्या के अनुसार संचालन करने की अनुमति आयोग के आदेश क्र. 2306 दिनांक 16.12.2022 के अध्वधीन प्रदान की गई थी।

विश्वविद्यालय के पत्र पीयू/आरबी/एनपीयू/आरबी/संजि./2023/234 दिनांक 13.03.2023 के अनुक्रम में पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए तालिका में दर्शित सत्र क्र. 13 एवं 14 में अंकित पाठ्यक्रमों को उनके नाम के सम्मुख सीट संख्या के अनुसार संचालन करने की अनुमति उक्त आदेश के द्वारा प्रदान की जाती है शेष अनुमतियों एवं शर्त पूर्व आदेश के अनुसार यथावत रहेंगी।

स.क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	आयोग के आदेश क्र. 2306 दिनांक 16.12.2022 के द्वारा स्वीकृत सीट संख्या	संशोधित सीट संख्या	अध्यादेश क्र.	संबंधित काउंसिल का पत्र क्र. एवं दिनांक
1.	DMLT	25	50	18	कॉलेज/एफ/740(8)के/ए
2.	DDT	25	50	19	200027/2766/2021 दिनांक 06.08.2021

शर्त :-

- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यूजीसी एवं संबंधित परिषदों के मापदण्डों के अनुसार अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होना की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यूजीसी एवं संबंधित परिषदों मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित विनियामक परिषदों की गाईडलाइन के अनुसार दिये जायेंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाइन/मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्य कराना होगा।
- व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक एजेंसियों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा तथा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रिक्रिंग संस्था/एजेंसियों के मापदण्डों की पूर्ति करना होगा।
- यूजीसी के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संचारित करना होगा।
- पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीर खूबता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

(मा. अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव)
सदस्य अकादमिक

म0प्र0नि0वि0वि0आयोग, भोपाल
दिनांक /06/2023

पृष्ठांकन...../ म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/अका-1/2023-24
प्रतिलिपि-

- निजी सहायक के माध्यम से मा. अध्यक्ष महो. म.प्र. नि.वि.वि.आयोग, भोपाल।
- कुलसचिव, पीपल्स विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनाएं।
- प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनाएं।
- प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनाएं।
- मूल नस्ती।

सदस्य अकादमिक

म0प्र0नि0वि0वि0आयोग, भोपाल

कार्यालय : ज्ञान वाटिका, वाल्मी संड, कलियासोत डैम के सामने भोपाल- 462016 (म.प्र.) ई-मेल : Sec.mppurc@gmail.com, वेबसाइट : mpnva.in, फोन : 0755-2490322
Office : Gyan Vatika, Walmi Road, Opposite Kaliyasot Dam, Bhopal-462016 (M.P.) Email : Sec.mppurc@gmail.com, Website : mpnva.in, Phone : 0755-2490322



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.आयोग,भोपाल/अका-1/2023-24

दिनांक ...15/03/24

//आदेश//

मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित की गई निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 189 वीं बैठक दिनांक 21/02/2024 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में पीपुल्स विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2023-24 से तालिका में दर्शित सीट संख्या के अनुसार संचालन करने की कार्योत्तर एवं प्रावधिक अनुमति निम्न शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है :-

क्र	संकाय	पाठ्यक्रम का नाम	वर्तमान में स्वीकृत सीट संख्या (धारा 9 'ख' अनुसार)	प्रस्तावित नवीन/ वृद्धि सीट संख्या	स्वीकृत कुल सीट संख्या	संबंधित विनियामक परिषद का आदेश तथा दिनांक	प्रकाशित अध्यादेश क्रमांक
1	Faculty of School of Pharmacy	D. Pharm	-	60	60	PCI-1960 Date- 08-05-2023	69

शर्त :-

- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबंधित विनियामक परिषदों के मापदण्डों के अनुसार अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबंधित विनियामक परिषदों मापदण्डों की पूर्ति एवं शैक्षणिक रटाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रदेश संबंधित विनियामक परिषदों के नियमानुसार दिये जायेंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाईन/मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.आयोग के द्वारा सगंध-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
- व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक एजेंसियों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा तथा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रैंकिंग संस्था/एजेंसियों के मापदण्डों की पूर्ति करना होगा।
- यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।
- पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

(मा. अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित एवं आदेशानुसार)

(डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव)

सदस्य अकादमिक

म0प्र0नि0वि0वि0आयोग, भोपाल

दिनांक /03/2024

पृष्ठांकन...../ म.प्र.नि.वि.वि.आयोग,भोपाल/अका-1/2023 24

प्रतिलिपि-

- निज सहायक के माध्यम से मा. अध्यक्ष महो. म.प्र. नि.वि.वि.आयोग,भोपाल।
- कुलसचिव, पीपुल्स विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
- प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
- प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
- मूल नरती।

सदस्य अकादमिक

म0प्र0नि0वि0वि0आयोग, भोपाल

162



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

क्र.

कमांक 1066 / म.प्र.नि.वि.वि.आयोग,भोपाल / अका-1 / 2023-24

दिनांक 06/05/24

// आदेश //

मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित की गई निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 189 वीं बैठक दिनांक 21/02/2024 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में पीपुल्स विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2023-24 से तालिका में दर्शित सीट संख्या के अनुसार संचालन करने की कार्योत्तर एवं प्रावधिक अनुमति निम्न शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है :-

क्र.	संकाय	पाठ्यक्रम का नाम	वर्तमान में स्वीकृत सीट संख्या (धारा 9 'ख' अनुसार)	प्रस्तावित नवीन/ वृद्धि सीट संख्या	स्वीकृत कुल सीट संख्या	संबंधित विनियामक परिषद का आदेश तथा दिनांक	प्रकाशित अध्यादेश कमांक
1	Faculty of Dept. of Post Graduate Legal Studies	LLM (2 year)	-	40	40	-	60

शर्त :-

- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबंधित विनियामक परिषदों के मापदण्डों के अनुसार अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबंधित विनियामक परिषदों मापदण्डों की पूर्ति एवं शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित विनियामक परिषदों के नियमानुसार दिये जायेंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाईन/मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
- व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक एजेंसियों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा तथा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रैंकिंग संस्था/एजेंसियों के मापदण्डों की पूर्ति करना होगा।
- यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।
- पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

(मा. अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित एवं आदेशानुसार)

(सुनील खरे)

प्रबंधक, वित्त एवं प्रशासन

म0प्र0नि0वि0वि0वि0आयोग, भोपाल

दिनांक /05/2024

पृष्ठांकन..... / म.प्र.नि.वि.वि.आयोग,भोपाल / अका-1 / 2023-24

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक के माध्यम से मा. अध्यक्ष महो, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल।
2. कुलसचिव, पीपुल्स विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
6. मूल नस्ती।

प्रबंधक, वित्त एवं प्रशासन

म0प्र0नि0वि0वि0वि0आयोग, भोपाल

98 file
A



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

क्र. 1518
क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/अका-1/2023-24

दिनांक 22/6/23

// संशोधित आदेश //

मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 179 वीं सभा की बैठक दिनांक 17/11/2022 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में पीपूल्स विश्वविद्यालय, भोपाल के मुख्य परिसर में स्थित शैक्षणिक विभागों के अंतर्गत पूर्व से संचालित निम्नलिखित तालिका में दर्शित पाठ्यक्रमों को उनके नाम के सम्मुख सीट संख्या के अनुसार संचालन करने की अनुमति आयोग के आदेश क्र. 2306 दिनांक 16.12.2022 के अधधीन प्रदान की गई थी।

विश्वविद्यालय के पत्र पीयू/आरवी/एमपीयूआरसी/रजि./2023/234 दिनांक 13.03.2023 के अनुक्रम में पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए तालिका में दर्शित सरल क्रं. 13 एवं 14 में अंकित पाठ्यक्रमों को उनके नाम के सम्मुख सीट संख्या के अनुसार संचालन करने की अनुमति उक्त आदेश के द्वारा प्रदान की जाती है शेष अनुमतियों एवं शर्तें पूर्व आदेश के अनुसार यथावत रहेगीं।

स.क्रं	पाठ्यक्रम का नाम	आयोग के आदेश क्र. 2306 दिनांक 16.12.2022 के द्वारा स्वीकृत सीट संख्या	संशोधित सीट संख्या	अध्यादेश क्र.	संबंधित काउंसिल का पत्र क्र. एवं दिनांक
1.	DMLT	25	50	18	कॉलेज/एफ/740(8)के/ए
2.	DDT	25	50	19	200027/2766/2021 दिनांक 06.08.2021

शर्त :-

- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यूजी.सी. एवं संबंधित परिषदों के मापदण्डों के अनुसार अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यूजी.सी. एवं संबंधित परिषदों के मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित विनियामक परिषदों की गाईडलाईन के अनुसार दिये जायेंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाईन/मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
- व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक एजेंसियों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा तथा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रैंकिंग संस्था/एजेंसियों के मापदण्डों की पूर्ति करना होगा।
- यूजी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।
- पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीर न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

(मा. अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव)
सदस्य अकादमिक

म.प्र.नि.वि.वि.आयोग, भोपाल
दिनांक /06/2023

पृष्ठांक...../ म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/अका-1/2023-24
प्रतिलिपि-

- निज सहायक के माध्यम से मा. अध्यक्ष महो, म.प्र. नि.वि.वि.आयोग, भोपाल।
- कुलसचिव, पीपूल्स विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
- प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
- प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
- मूल नस्ती।

सदस्य अकादमिक

म.प्र.नि.वि.वि.आयोग, भोपाल